मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क्रमांक/ 1984 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 भोपाल, दिनांक 4/3/14

प्रति,

- **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त)**
- **सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)/जिला संयोजक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग**

विषय :– राज्य शासन के दृष्टि पत्र 2018 में उल्लेखित महात्मा गांधी नरेगा एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के अभिसरण से अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आयोजना का क्रियान्वयन।

cccccccc

राज्य शासन के दृष्टि पत्र 2018 के अध्याय 1– कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.1A.2, 1.A.2.4, 1.A.2.5, 1.B.1.1, 1.B.2.2, 1.D.1.2, 1.G.1.9, 1.H.1.1, अध्याय 2– शिक्षा बिन्दु क्र. 2.A.3.2, अध्याय 8– सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा क्र. 8.A.2, अध्याय 11– ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2, 11.2.1, 11.2.1.1 में उल्लेखित विवरण अनुसार लक्षित हितग्राहियों के कपिलधारा कूपों में सिंचाई पम्प की सुविधा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय इकाईयों के निर्माण एवं शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटें, ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना यथा– सीमेंट कांक्रीट रोड, पक्की नाली आदि के निर्माण का कार्य मनरेगा एवं मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की राशि के अभिसरण से लिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। योजना का विवरण निम्नानुसार है :–

1/ महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सामुदायिक हित के व निजी स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराया जाना अनुमत है। हितग्राही मूलक कार्यों हेतु पात्र श्रेणी के हितग्राहियों में अनुसूचित जाति परिवार परिवार शामिल हैं। परन्तु,

महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणी के परिवारों की निजी भूमि में व्यक्तिगत कार्य निम्न शर्तों के अध्याधीन ही प्रारंभ किये जा सकते है :–

(i) उक्त श्रेणी के परिवार का जॉबकार्डधारी होना अनिवार्य होगा।
(ii) लाभार्थी अपनी निजी भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करेंगे।
(iii) लाभार्थी की भूमि पर लिये जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के Shelf of Project (SoP) का अनिवार्य रूप से हिस्सा होंगे।

2/ महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार को सौ दिवस का अकुशल श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराया जाकर ऐसी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है, जो उनकी स्थायी आजीविका सुदृढ़ीकरण में सहायक हों। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कपिलधारा उपयोजना प्रारम्भ की गई है। कपिलधारा उपयोजना अन्तर्गत प्रदेश में योजना प्रारम्भ से आज दिनांक तक 280220 कूपों का निर्माण किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के 59219 लाभान्वित हितग्राही हैं। उक्त निर्मित कपिलधारा कूपों में से 83542 कूपों में सिंचाई पम्प की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, जिसमें से 19212 अनुसूचित जाति के हितग्राही हैं। उपरोक्त कूपों में सिंचाई पम्प की स्थापना का कार्य मुख्य रूप से बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज, कृषि विभाग अंतर्गत संचालित आर.के.व्ही.वाय. एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों से किया गया है। उपलब्ध कराये गये सिंचाई पम्पों में से 80 प्रतिशत सिंचाई पम्प बुन्देलखण्ड पैकेज व ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं से उपलब्ध कराये गये हैं। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के 40007 हितग्राहियों को अभी भी सिंचाई पम्प की सुविधा दिया जाना शेष है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ऐसी आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में, जहां बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय इकाईयों का निर्माण किया जाना शेष है, उन शालाओं एवं छात्रावासों में शौचालय इकाईयों का निर्माण निर्मल भारत अभियान एवं महात्मा गांधी नरेगा की राशि के अभिसरण से किया जाना अनुमत है।

3/ महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बिन्दु क्रमांक एक में उल्लेखित श्रेणियों के परिवारों के निजी भूमि में निर्मित कपिलधारा (सिंचाई कूप) कूपों में निम्न योजनाओं से सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं :–

- बुन्देलखण्ड विशेष सहायता पैकेज (सागर संभाग के 5 जिले व ग्वालियर संभाग का दतिया जिला)

- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत पम्प हेतु अनुदान।
- कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत डीजल/विद्युत पम्प हेतु अनुदान।

4/ **शौचालय इकाईयों का निर्माण** – मनरेगा/निर्मल भारत अभियान एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अभिसरण से आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय इकाईयों का निर्माण किया जावेगा।

5/ **आधारभूत अधोसंरचनाओं का निर्माण** – ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना/विधायक निधि/पंचायत विभाग के मूलभूत मद की राशि/स्टाम्प शुल्क/गौण खनिज/अधोसंरचना सुधार एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं के अभिसरण से आधारभूत अधोसंरचनाओं यथा–आंतरिक पथ (सीमेन्ट कांक्रीट सड़क) निर्माण किये जाने के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश है। अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटों में सीमेन्ट कांक्रीट सडक व नाली निर्माण मनरेगा एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रचलित कार्यक्रमों के मद की राशि से कराये जाने से अधिक लम्बाई में सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा।

6/ **अनुमत्य कार्यों के संचालन के लिए निम्न कार्य किया जाना आवश्यक है :–**

6.1 **अनुमत्य कार्य के फ्लैक्स लगाना** – मनरेगा अधिनियम में वर्णित अनुमत्य समुदायिक कार्यों की सूची का फ्लैक्स तैयार किया जावेगा।

6.2 **स्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त करना** – ग्राम/ग्राम पंचायत का पटवारी नक्शा प्राप्त कर नक्शे में मनरेगा योजना के पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, स्वीकृत परंतु अप्रारंभ कार्यों तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन किया जावेगा।

6.3. **ग्रामीण आधारभूत अधोसंरचना विकास योजना –**

- मनरेगाा योजना से अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की निजी भूमि में निर्मित सफल कपिलधारा के कूपों में सिंचाई पम्प उपलब्ध कराने हेतु ग्रामवार लक्ष्य निर्धारित करना।
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक –पृथक शौचालय इकाईयों के निर्माण कार्यों का चिन्हांकन।

- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु संचालित योजनाओं व मनरेगा के अभिसरण से किये जा सकने वाले अनुमत्य कार्यों का चिन्हांकन।

6.4 **ट्रांजिट वॉक** – उपयंत्री, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का मैदानी अमला तथा ग्राम के हिताधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा ग्राम का भ्रमण कर आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में बालक एवं बालिकाओं हेतु निर्मित किये जाने वाले पृथक–पृथक शौचालय इकाईयों के कार्यों का, एवं मूलभूत सुविधा/अधोसंरचना निर्माण के अनुमत्य कार्यों का चिन्हांकन एवं स्थल चयन किया जावेगा। ट्रांजिट वॉक के ठीक उपरांत उपयंत्री व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मैदानी अमले द्वारा मौके पर सभी माप लेकर ही संयुक्त रूप से प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा जिसमें, मजदूरी/सामग्री अनुपात 60:40 की स्थिति, कार्य में सृजित होने वाले मानव दिवस, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की संभावित तिथि, चयनित भूमि व क्षेत्रफल का विवरण, माप के आधार, एवं कार्य से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या एवं कार्य की उपयोगिता की जानकारी दर्शायी जावेंगी।

6.5 **कार्यों का सूचीकरण** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों को सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जावेगा।

6.6 **अभिसरण** –

गतिविधि का नाम	अभिसरण	
	मनरेगा	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
1	2	3
कपिलधारा कूप से सिंचाई हेतु पम्प उपलब्ध कराना।	मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत कूप निर्माण। मनरेगा से शत–प्रतिशत व्यय।	अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के सफल कपिलधारा कूपों में सिंचाई सुविधा हेतु डीजल/विद्युत पम्प उपलब्ध कराना तथा ऊर्जीकरण (कूपों तक विद्युत लाईन का विस्तार) करना।

1	2	3
आश्रम शालाएं तथा छात्रावासों में शौचालय इकाईयों का निर्माण।	बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक –पृथक शौचालय यूनिट का निर्माण। मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से व्यय।	1. ग्राम पंचायत को मनरेगा की वार्षिक कार्ययोजना में कार्य को शामिल करने हेतु प्रस्ताव देना। 2. ट्रांजिट वाक के समय उपयुक्त स्थल चयन व प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग। 3. शौचालय यूनिट की नियमित साफ–सफाई, संचालन हेतु पानी की व्यवस्था व रखरखाव करना।
मूलभूत सुविधाएं एवं अधोसंरचना विकास	शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटें, ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना यथा– सीमेंट कांक्रीट रोड, पक्की नाली आदि के निर्माण। मनरेगा से मजदूरी–सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में व्यय। अतिरिक्त सामग्री हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की राशि का उपयोग।	1. अनुसूचितजाति कल्याण विभाग द्वारा मूलभूत सुविधा एवं अधोसंरचना विकास हेतु प्राप्त आवंटन ग्राम पंचायतों का उपलब्ध कराना। 2. ग्राम पंचायत को मनरेगा की वार्षिक कार्ययोजना (SoP) में कार्य को शामिल करने हेतु प्रस्ताव देना। 3. ट्रांजिट वाक के समय उपयुक्त स्थल चयन व प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग।

6.7 **60:40 अनुपात का ध्यान रखना** – मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के अनुपात के न्यूनतम मापदण्ड से कम नहीं होना चाहिये। निर्धारित अनुपात प्रत्येक कार्यवार न होकर ग्राम पंचायत के स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये रखा जाना चाहिए।

6.8 **लेबर बजट तैयार करना**– प्रत्येक जिले में रोजगार की मांग के आधार पर सृजित होने वाले मानवदिवस एवं क्रियान्वित होने वाले कार्यों की लागत के अनुसार लेबर बजट तैयार किया जाना है। लेबर बजट त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अनुमोदित होना आवश्यक है।

6.9 **कार्यों की प्राथमिकता तय करना** – मनरेगा अधिनियम की अनुसूची–1 में अनुमत्य कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक सीजन जैसे गर्मी, बरसात, शीत एवं बसंत ऋतु में कौन से कार्य

लिये जाने हैं यह स्पष्ट हो सके। सामान्यतः शौचालय निर्माण/मूलभूत सुविधाएं एवं अधोसंरचना निर्माण के कार्य वर्ष में कभी–भी लिये जा सकते हैं।

6.10 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना** – लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की मांग प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। लेबर वजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण किया जावेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण म.प्र. शासन. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

6.11 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन** – ग्राम का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जनपद पंचायत द्वारा एवं जनपद पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा।

6.12 **कार्यों की स्वीकृतियां – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति** – ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन जिला दर अनुसूची जो 01 अप्रैल 2013 के बाद जारी हुई के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

6.13 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का नरेगा सॉफ्ट में संकलन** – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का संकलन नरेगा सॉफ्ट में किया जावेगा।

7/ **प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर डीपीआर फ्रीज करना** – अनुमोदित शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त होने के पश्चात कार्यों के डीपीआर नरेगा साफ्ट में फ्रीज किये जावेंगे।

8/ **कार्यो की क्रियान्वयन एजेंसी** – मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यो की क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा निर्धारित एजेंसी रहेगी। कार्य का संपादन ई–मस्टर रोल पद्धति से जाबकार्डधारी श्रमिकों से कराया जावेगा।

8.1 **क्रियाशील जॉबकार्डधारी समूहों द्वारा कार्य का सम्पादन** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशील जॉबकार्डधारियों के भूमिहीन तथा भूमिधारी पृथक–पृथक समूह गठित किये गये है। प्रत्येक समूह में 50 परिवार सदस्य होंगे। समूह के सदस्यों द्वारा कार्य पर्यवेक्षक के रूप में मेट का चयन किया गया है। मेट की योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। मेट के मुख्य कार्य समूह से रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदन संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत करना, पावती प्राप्त कर सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराना, कार्यस्थल पर श्रमिकों की ई–मस्टर रोल पर उपस्थिति लेना, कार्य का प्रारंभिक माप दर्ज करना आदि है।

8.2 **रोजगार सप्ताह से कार्य को प्रारंभ करना** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन का निर्धारण पूर्व से ही किया गया है। जिसे ''रोजगार गारंटी दिवस'' कहा जाता है। कार्य प्रारंभ होने के 06 दिन उपरांत उपयंत्री द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जावेगा। इस प्रकार, रोजगार सप्ताह में कराए गए कार्य के मूल्यांकन उपरांत एफटीओ के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

8.3 **मजदूरी भुगतान 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करना** – कार्य का संपादन ई–एफएमएस प्रणाली से एवं अधिनियम अनुसार 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान करना वैद्यानिक बाध्यता है। उपयंत्री द्वारा कार्य के साप्ताहिक मूल्यांकन पश्चात् सहायक लेखाधिकारी मनरेगा, एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमआईएस सुनिश्चित करते हुये एफटीओ जारी कर श्रमिकों एवं सामग्री प्रदायदाता को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के खातों में भुगतान किया जावेगा।

8.4 **खसरे में दर्ज करना** – कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पटवारी के नक्शे – खसरे **में** निर्मित परिसम्पत्ति का इन्द्राज किया जाना है।

8.5 **सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता** – ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए गए प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के संबंधित मैदानी अधिकारी/कर्मचारी परियोजना की जानकारी देने हेतु ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित रहें।

9/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आहूत की जावेगी एवं मनरेगा योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के कपिलधारा कूपों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारण के साथ

ही महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम शालाएं एवं छात्रावासों में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय यूनिट निर्माण एवं मूलभूत अधोसंरचना निर्माण के लिए रणनीति तैयार की जावेगी। **रणनीति तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि एक ही ग्राम पंचायत में पृथक–पृथक विभागों द्वारा किये जाने वाले एक ही प्रकार के कार्यों का दोहरीकरण न हो एवं कार्यों का संपादन गुणवत्तायुक्त हो।**

10/ उक्त दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो इस हेतु सहायक आयुक्त/जिला संयोजक (अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग) जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद से लगातार समन्वय स्थापित करेंगे। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का समस्त मैदानी अमला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराने हेतु ग्राम पंचायतों से समन्वय तथा सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन में सेतु का निर्वहन करेंगे।

11/ कार्यो के चयन, प्राक्कलन, स्वीकृति, मूल्यांकन, भुगतान तथा पर्यवेक्षण के लिए म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देश यथावत् लागू होंगे।

12/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी कार्यों के मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण में भी ग्राम पंचायतों को सतत एवं सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा एवं अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।

13/ कार्यो का निष्पादन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवीन परिपत्र क्रमांक 2, दिनांक 20 फरवरी 2013 के अधीन सम्पन्न किया जावेगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावेगा। मूल्यांकन का कार्य सम्बन्धित उपयंत्री मनरेगा अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

14/ श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में फ्रीज किये गये खातों में जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से निर्धारित अवधि में किया जावेगा।

15/ बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज की अतिरिक्त सहायता मद से क्षेत्र के छह जिले सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह एवं दतिया में कपिलधारा कूप के हितग्राहियों को डीजल/विद्युत पम्प का प्रदाय किया जा रहा है। अतएव पैकेज लागू रहने तक इन जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं से डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय नहीं किये जावें।

16/ वर्ष 2014–15 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छह जिलों को छोड़कर शेष जिलों के कपिलधारा कूप के पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत सिंचाई पम्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर आवंटन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किये जावें। समस्त आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में, जहां बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय इकाईयों का निर्माण शेष हैं, वहां शत प्रतिशत शौचालय इकाईयों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें। मूलभूत सुविधाओं से संबंधित अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से प्राप्त आवंटन का अधिकतम उपयोग अभिसरण के रूप में ग्राम की आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त कार्यों का क्रियान्वयन राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 में वर्णित महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ति की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस संयुक्त परिपत्र पर प्राथमिकता से त्वरित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.3.14

(प्रेमचंद मीना)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4/3/14

(डॉ. अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ 1985 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक 4/3/

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय।
3. आयुक्त, मनरेगा।
4. आयुक्त, पंचायतीराज।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स।
6. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
7. समस्त संभागायुक्त।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.।

9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग।
10. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर ।

4.3.14

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4/3/14

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग